HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 10185/2026

Rajasthan Aabkari Seva Sangh

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Saransh Saini
Mr. Vinod Kumar Sharma
Ms. Ayushi Singh
Ms. Sanjana Choudhary
Mr. Neeraj Kumar Pal
Mr. Tushar Tak
Mr. Sidharth S Sharma

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)

Order

10/06/2026

याचिकाकर्ता की ओर से यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के वित्त (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक–प.13(5)वित्त/आब/2017 पार्ट दिनांक 01.06.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

अन्तरिम स्थगन पर सुना गया ।

विद्वान अभिभाषक याचिकाकर्ता का निवेदन है कि याची राजस्थान आबकारी सेवा संघ एक पंजीकृत संस्था है । आबकारी विभाग में राज्य सरकार द्वारा सामान्य शाखा के संबंध में राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम 1974 (जिसे आगे ''नियम 1974'' सम्बोधित किया

जावेगा) निर्मित किए गए है तथा निरोधक शाखा के संबंध में राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निरोधक शाखा) नियम 1976 (जिसे आगे ''नियम 1976'' सम्बोधित किया जावेगा) निर्मित किए गए हैं । उक्त दोनों नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निर्मित किए गए हैं, जिनमें सामान्य शाखा और निरोधक शखा के पदों की भर्ती व पदोन्नति के संबंध में विभिन्न सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है । उक्त दोनों नियमों में दी गई अनुसूची में यह भी वर्णित किया गया है कि कौन से व कितने प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे व कितने पद किस पद से पदोन्नति से भरे जायेंगे । इस संबंध में सामान्य शाखा व निरोधक शाखा का पद सोपान निम्न प्रकार हैः–

General Branch

Grade/Post	Pay
Senior DEO	6600
DEO	6000
AEO	4800
E.I. Grade I	4200
E.I. Grade II	3600
Feder Post RAS/RTS	1008
E Grade I	2800
E Grade II	2400

Preventive Branch

Grade/Post	Pay
Deputy Commissioner (P)	6600
Excise Officer	6000
AEO	4800
Petrolling Officer I	4200
Petrolling Officer II	
Jamadar I	2800
Feder Post - Jamadar II	2400
Sepoy	
Driver	

उक्त नियम 1974 व 1976 में भर्ती व पदोन्नति की सेवा शर्तों के विभिन्न प्रावधान दिए गए है। नियम 1974 व 1976 में संशोधन किए बिना राजस्थान सरकार के वित्त (आबकारी)विभाग द्वारा आज्ञा क्रमांक–प. 13(5)वित्त/आब/2017 पार्ट दिनांक 01.06.2026 द्वारा समान क्रमांक से तीन आदेश परिशिष्ट–1 से 3 जारी करते हुए राज्य के परिवर्तित बजट 2024–2025 के बिन्दु संख्या 180 के आधार पर आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल का गठन व प्रशासनिक संरचना का पुनर्गठन किया गया है जो विधिक

प्रावधानों के विपरीत हैं । उक्त प्रशासनिक आदेश अधिसूचित अधिनियम व नियमों के विपरीत नहीं हो सकता है । किसी भी अधिनियम और नियम के विपरीत पारित किया गया कोई भी प्रशासनिक आदेश विधि विरूद्ध होकर शून्य व अप्रवर्तनीय है। न्यायिक विनिश्चय आर. रंजीथ सिंह व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य, एस.एल.पी. संख्या–5137–38/2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2025 के पैरा संख्या–20 में इस संबंध में निम्न मत व्यक्त किए गए हैं :–

> This Court in the case of **State of Madhya Pradesh and Another Vs. M/s G.S. Dall and Flour Mills** 1992 Supp (1) Supreme Court Cases 150 has held that executive instructions can supplement a Statute or cover areas which the Statute does not extend. They cannot run contrary to the statutory provisions or whittle down their effect. In the preset case, the G.O. dated 13.07.1995, G.O. dated 24.10.1996 and G.O. dated 10.06.2009 are executive instructions and based upon the executive instructions, the statutory provisions as contained under the statutory rules could not have been made applicable as has been done in the present case.

याची के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त विनिश्चिय में अभिनिर्धारित सिद्धांत के आधार पर किसी भी विधिक प्रावधान अथवा अधिनियम व नियम के विपरीत ऐसा प्रशासनिक आदेश नहीं हो सकता है, जो उक्त अधिनियम व नियमों के प्रावधानों को कम करता हो या समाप्त करता हो । राज्य सरकार के वित्त (आबकारीं) विभाग द्वारा आदेश दिनांक 01.06.2026 परिशिष्ट 1 से 3 पारित कर उपरोक्त नियम 1974 व 1976 के नियमों को अप्रभावी कर आबकारी विभाग की सामान्य शाखा व निरोधक शाखा का गठन एक साथ करके आबकारी आयुक्त के अधीन 8 संभाग स्तरीय अतिरिक्त आयुक्त , आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन कार्यालय व 2 राज्य स्तरीय उपायुक्त प्रवर्तन कार्यालय बना दिए हैं और जयपुर व जोधपुर में वर्तमान में स्वीकृत जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन) का नाम परिवर्तित कर उपायुक्त आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल (विधि) कर

दिया गया है और आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल के अन्तर्गत 111 कनिष्ठ आबकारी अधिकारी ग्रेड–प्रथम तथा 175 कनिष्ठ आबकारी अधिकारी ग्रेड–द्वितीय कार्यालय बना दिए हैं । इस प्रकार कुल 351 कार्यालय सृजित करके आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर पदस्थापन्न उक्त आदेश के अनुसार किया गया है जो नियम 1974 व 1976 के प्रावधानों के विपरीत किए गए है। उक्त आज्ञा दिनांक 01.06.2026 के बिन्दु संख्या 10 में यह वर्णित किया गया है कि नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल के लिए राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के नये सेवा नियम बनाये जाकर इनके अन्तर्गत ही नवीन भर्तियां की जायेंगी । राज्य सरकार को नवीन सेवा नियम बनाकर आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल का गठन करना चाहिए था। नियम 1974 व 1976 को समाप्त किए बिना उक्त नियमों के विपरीत राज्य सरकार के वित्त (आबकारी) विभाग द्वारा दिनांक 01.06.2026 को जो आदेश जारी किया गया है वह विधि विरूद्ध है । जिससे कर्मचारियों की पदोन्नति तथा कर्मचारियों की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिससे विभाग के समक्ष विवाद उत्पन्न होगा व अनावश्यक कानूनी पेचीदगियां बढेंगी । ऐसी स्थिति में जब तक नियम 1974 व 1976 क संबंध में नये सेवा नियम बनाकर आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल का गठन नहीं किया जाता है तब तक राजस्थान सरकार वित्त (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 01.06.2026 परिशिष्ट 1 से 3 की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे।

याची के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि उक्त आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल का गठन किए जाने से पूर्व याचीगण को सुना नही गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । ऐसा मत न्यायिक दृष्टांत–(2024) 19, एस.एस.सी. पेज 411, कृष्ण दत्त अवस्थी बनाम मध्यप्रदेश राज्य व अन्य में प्रतिपादित किया गया है ।

हमने याची के विद्वान अभिभाषक द्वारा रखे गए तर्कों पर मनन किया, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि आबकारी विभाग की सामान्य शाखा व निरोधक शाखा के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय संविधान के

अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलग–अलग नियम 1974 व 1976 निर्मित किए गए है । न्यायिक दृष्टांत आर. रंजीथ सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.05.2025 के पैरा संख्या 20 के अनुसार कोई भी प्रशासनिक आदेश विधिक प्रावधान अथवा अधिनियम व नियम के विपरीत व उसके प्रभाव को कम करने वाला नहीं हो सकता । राजस्थान सरकार के वित्त(आबकारी) विभाग द्वारा आदेश दिनांक 01.06.2026 परिशिष्ठ 1 से 3 जारी किया गया है, उसके संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई नये नियम नहीं बनाए गए हैं अतः नियम 1974 व 1976 नियम को समाप्त नहीं किया गया है तथा उक्त नियमों को समाप्त किए बिना व नये नियमों का गठन किए बिना आबकारी प्रवर्तन व निरोधक बल के गठन से उक्त नियम 1974 व 1976 में अंकित पदों को धारित करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों , पदोन्नति व सेवा शर्तों पर विपरीत प्रभाव पडेंगा । सीधी भर्ती में शामिल होने वाले व्यक्ति व पदोन्नति से पदोन्नत होकर संबंधित पद को धारित करने वाले व्यक्ति की वरीयता के संबंध में पेचीदगियां उत्पन्न हो सकती हैं तथा अन्य कई समस्याओं का कर्मचारियों व अधिकारियों को सामना करना पड सकता हैं । ऐसी स्थिति में नियामानुसार नवीन नियम बनाकर आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल का गठन किए जाने तक या अग्रिम आदेश तक राजस्थान सरकार वित्त(आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.06.2026 परिशिष्ट 1 से 3 की क्रियान्विति स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार वित्त (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.06. 2026 परिशिष्ट 1 से 3 की क्रियान्विति व प्रभाव को अग्रिम आदेश तक या नियमानुसार नवीन नियम बनाकर आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल का गठन किए जाने तक स्थगित किया जाता है ।

इस स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगे । इस आदेश का प्रभाव प्रस्तुत आवेदन पर तथा स्थगन प्रार्थना पत्र या याचिका के गुणावगुणों पर निस्तारण पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा ।

प्रत्यर्थीगण को स्थगन प्रार्थना पत्र व रिट याचिका के नोटिस जारी होकर यह प्रकरण दिनांक 07.07.2026 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)),J

244/RISHIKESH SONI